सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति सैफई, इटावा का संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति

2. संस्था का पता : ग्राम सैफई, पोस्ट हैयरा, जनपद इटावा ।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण उत्तर प्रदेश।

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

प्रत्येक प्रकार की सदस्यता सभी संस्थापक सदस्यों के बहुमत से उनकी लिखित संस्तुति के आधार पर प्रबंधक/मंत्री द्वारा प्रदान की जाएगी। सदस्यता निम्न प्रकार की होगी:–

(1) संस्थापक सदस्य (संस्थापक मण्डल) :–

संस्थापक मण्डल संस्था का सर्वोच्च निकाय होगा तथा समिति के किसी भी निर्णय से असहमत होने पर उसे निरस्त, स्थगित कर सकता है। किसी भी पदाधिकारी को हटा सकता है या उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संस्थापक सदस्य अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी स्वयं घोषित करेंगे, जिसे उत्तरजीवी संस्थापक सदस्यों के बहुमत से स्वीकार/अस्वीकार किया जा सकता है। संस्था में संस्थापक सदस्य के रूप में नया संस्थापक सदस्य बनाने का अधिकार संस्थापक मण्डल को ही होगा।

एवं जो व्यक्ति इस संस्था को मुबलिग 50,000/- रूपया की चल–अचल सम्पत्ति या नगद धन देंगे, वह उसके संस्थापक सदस्य होंगे।

वर्तमान में संस्था के संस्थापक सदस्यों की सूची निम्नवत् है:–

1. श्री अभय राम, ग्राम सैफई, पो0 हैयरा, जनपद इटावा

2. श्री शिवपाल सिंह, ग्राम सैफई, पो0 हैयरा, जनपद इटावा

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

...प्रतिलिपि

3. श्रीमती सरला, ग्राम सैफई, पो0 हैयरा, जनपद इटावा

4. श्री आदित्य यादव, ग्राम सैफई, पो0 हैयरा, जनपद इटावा

5. डॉ0 अनुभा यादव, ग्राम सैफई, पो0 हैयरा, जनपद इटावा

(2) आजीवन सदस्य–

जो व्यक्ति 20,000/– रूपया नगद या समान मूल्य की चल–अचल सम्पत्ति देंगे, वह आजीवन सदस्य होंगे।

(3) सामान्य सदस्य–

1,001/– रूपया नगद या समान मूल्य की चल–अचल सम्पत्ति प्रतिवर्ष देने वाले इसके सामान्य सदस्य होंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति–

सभी प्रकार के सदस्यों की सदस्यता साधारण सभा के अनुमोदन से निम्नलिखित में से किसी एक कारण से समाप्त की जा सकती है। मृत्यु, पागल, कोढ़ी, दिवालिया होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी। [illegible] किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, शुल्क बकाया होने पर तथा संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर या संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के उपरान्त साधारण सभा द्वारा समाप्त की जाएगी।

6. संस्था के अंग–

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबंध कारिणीसमिति

7. साधारण सभा–

(अ) गठन – सभी प्रकार के सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें – सामान्य व विशेष – साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक व विशेष आवश्यकतानुसार प्रबन्धक/मंत्री बुलाएगा।

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

(स) सूचना अवधि-- साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनाएं 14 दिन व विशेष की 7 दिन पूर्व दी जाना अनिवार्य होगा।

(द) गणपूर्ति -- कुल सदस्यों की 1/3 उपस्थिति गणपूर्ति होगी।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन-- आवश्यकतानुसार विशेष वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसकी तिथि प्रबन्धक/मंत्री समिति के बहुमत से तय करेगा।

(र) साधारण सभा के कार्य -- प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना, वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन करना, नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन संस्थापक सदस्यों की संस्तुति पर विचार करके करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति --

(अ) गठन -- प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निम्नवत किया जायेगा। इस समिति में कुल 07 पदाधिकारी/सदस्य होंगे।

(1) संस्थापक सदस्यों में से एक प्रतिनिधि उनके बहुमत के आधार पर चुना जाएगा, जो चयनोपरान्त संस्था की साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगा।

(2) शेष छः पदाधिकारियों/सदस्यों यथा उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष व अन्य दो प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा के बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

(ब) बैठकें -- सामान्य व विशेष -- प्रबन्ध समिति की सभी प्रकार की बैठकें प्रबंधक/मंत्री बुलाएगा, सामान्य बैठकें प्रति तिमाही विशेष आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाई जाएगी।

(स) सूचना अवधि -- सामान्यतः प्रबन्ध समिति की बैठकों की सूचनाएं 7 दिन पूर्व दी जाएंगी, परन्तु आपातकालीन बैठकें

उप प्रबन्धक
गुधर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

(द) गणपूर्ति – कुल सदस्यों की 1/3 उपस्थिति कोरम करेगा। कोरम के अभाव में स्थानीय बैठकों के आयोजन पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु ऐसी बैठकों में प्रबंधक / मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति:– प्रबन्ध कारिणी समिति में हुए रिक्त स्थान की पूर्ति बाकी कार्यकाल के लिये साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

(र) प्रबंध समिति के कर्तव्य – उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्थाएं खोलना, कार्यक्रमों की रूप रेखा प्रस्तावित करना, वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को पास कराना।

(ल) कार्यकाल – प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –नियमावली के पूर्वोक्त बिन्दु 4 (1) के प्राविधानों के अधीन प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत् होंगे:–

अध्यक्ष – समस्त प्रकार की आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना।

उपाध्यक्ष –अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

प्रबन्धक / मंत्री – समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित की गई समस्त संस्थापकों के समस्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का पालन करेगा, सभी प्रकार के वैतनिक कर्मचारियों का नियंत्रण उनकी नियुक्ति, विमुक्ति, निष्कासन, निलंबन आदि के निर्णय लेना, समस्त प्रकार की सदस्यता संस्थापक सदस्यों की स्वीकृति मिलने पर स्वीकार करना, रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि बनाना बैठकों की सूचनाएं व एजेण्डा आदि प्रसारित करना। समिति की चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित अनुदान और दस्तावेजों व शर्त नामों पर हस्ताक्षर करना, संस्था का कोष पर अपना नियंत्रण रखना तथा बैंक आदि में अपने हस्ताक्षरों से जमा करना व निष्कासन, समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का पालन व प्रयोग करना जो शिक्षा संहिता, शिक्षा विभाग [illegible]

उप प्रबन्धक
मुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

राज्य सरकार, केंद्र सरकार के किसी प्रचलित नियम या कानून द्वारा विद्यालय/समिति पर लागू हो।

4. उपप्रबंधक — प्रबंधक/मंत्री का सहयोगी होगा तथा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत सीमा तक ही कार्य करेगा।

5. कोषाध्यक्ष — आय–व्यय का विधिवत् हिसाब–किताब रखना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया –

संस्था के नियमों व विनियमों में किसी भी कोई भी संशोधन सदस्यों, संस्थापकों सदस्यों की स्वीकृत के आधार पर साधारण सभा के बहुमत से किया जाएगा।

11. संस्था का कोष –

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा होगा। धन निकालने का अधिकार केवल प्रबंधक/मंत्री का होगा, उसी के हस्ताक्षर बैंक में स्वीकार होंगे।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण –

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष कराया जाएगा जिसके लिए संस्थापक सदस्य किसी को ऑडीटर की नियुक्ति करेंगे।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक/मंत्री अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख –

(i) सदस्यता रजिस्टर
(ii) कार्यवाही रजिस्टर
(iii) स्टॉक रजिस्टर
(iv) कैश बुक आदि

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
28/1/19

उप प्रबन्धक
...र सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

15. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण के कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा (13) व (14) के अंतर्गत की जाएगी।

सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति, सैफई, इटावा

कार्यवृत्त बैठक दिनांक 10-09-2019

आज दिनांक 01-09-2019 का पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार कतिपय सदस्य की सदस्ता समाप्त करने पर विचार एवं संस्था की नियमावली संशोधन पर विचार-विमर्श करने हेतु, साधारण सभा की एक बैठक संस्था मुख्यालय पर आयोजित की गयी, जिसमें निम्नांकित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1-- श्री मोहित यादव
2-- डॉ0 अनुभा यादव
3-- श्री शिवपाल सिंह यादव
4-- श्रीमती सरला यादव
5-- श्री आदित्य यादव
6-- श्री जय किशन
7-- श्री गौरव यादव
8 श्री अभय राम यादव

बिंदु - 1

सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित साधारण सदस्य, सर्व श्री नरेन्द्र सिंह यादव , राजलक्ष्मी , रोहित यादव और डॉ0 अजन्ट सिंह ने संस्था का सालाना फीस नही जमा किया है और लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं अतैव संस्था की नियमावली एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार उक्त की सदस्यता समाप्त की जाती है।

2. संस्था में श्री आदित्य यादव एव डॉ0 अनुभा यादव के द्वारा किये गये आर्थिक सहयोग/दान जो संस्था की नियमावली के अन्तर्गत संस्थापक सदस्य की सदस्यता हेतु निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक है, को ध्यान में रखते हुए सभा में उपस्थित संस्थापक सदस्य श्रीमती सरला यादव एवं श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रस्तावित किया गया कि श्री आदित्य यादव एवं डॉ0 अनुभा यादव को संस्था में संस्थापक सदस्य नामित किया जाये। उक्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा ध्वनिमति से सहमति प्रदान की गयी। अध्यक्ष द्वारा सचिव से अपेक्षा की गयी कि साधारण सभा की अधोलिखित

Yadav

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

Yadav

अधुनान्त सूची उप निबन्धक, कार्यालय, कानपुर में जमा कर पंजीकृत कराये ।

1— श्री मोहित यादव
2— श्री अभय राम यादव
3— डॉ0 अनुमा यादव
4— श्री शिवपाल सिंह यादव
5— श्रीमती सरला यादव
6— श्री आदित्य यादव
7— श्री जय किशन
8— श्री गौरव यादव

3. सचिव श्री आदित्य यादव द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था की संशोधित नियमावली तैयार की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संशोधित नियमावली का वाचन उपस्थित सदस्यों के समक्ष किया गया। सभी सदस्य उक्त संशोधित नियमावली के प्रस्ताव से सहमत हुए और सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त संशोधित नियमावली का पंजीकरण उप निबन्धक, कानुपर कार्यालय से करा लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के उपरान्त बैठक का समापन हुआ।

सत्य प्रतिलिपि

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति सैफई

इटावा

साधारण सभा की सूची

वर्ष : 2019—20

क0सं0	नाम	पता	सदस्यता का प्रकार
1	श्री अभय राम,	ग्राम सैफई, पो0 हैवरा जनपद इटावा	संस्थापक
2	श्री शिवपाल सिंह यादव	ग्राम सैफई, पो0 हैवरा जनपद इटावा	संस्थापक
3	श्रीमती सरला यादव	ग्राम सैफई, पो0 हैवरा जनपद इटावा	संस्थापक
4	डॉ0 अनुभा यादव	ग्राम सैफई, पो0 हैवरा जनपद इटावा	संस्थापक
5	श्री आदित्य यादव	ग्राम सैफई, पो0 हैवरा जनपद इटावा	संस्थापक
6	श्री मोहित यादव	47—ई, 16, प्रतापनगर आगरा।	आजीवन
7	श्री जय किशन	विजय नगर, इटावा।	साधारण
8	श्री गौरव यादव	इटावा	साधारण

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

टिप्पणी—उक्त सूची दिनांक 10—09—2019 से प्रभावी है।

सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति सैफई, इटावा

प्रबन्ध कारिणी समिति की सूची
वर्ष : 2019–20

क.सं.	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री मोहित यादव	अध्यक्ष	47–ई, 16, प्रताप नगर, आगरा	समाज सेवा
2.	डॉ० अनुभा यादव	उपाध्यक्ष	लखनऊ	समाज सेवा
3.	श्री शिवपाल सिंह यादव	प्रबन्धक	ग्राम सैफई, पो० हैवरा जनपद इटावा	समाज सेवा
4.	श्रीमती सरला यादव	उप प्रबन्धक	न्यू कालोनी, चौगुर्जी, इटावा	समाज सेवा
5.	श्री आदित्य यादव	उपप्रबन्धक	ग्राम सैफई, पो० हैवरा जनपद इटावा	समाज सेवा
6.	श्री जय किशन	कोषाध्यक्ष	विजय नगर, इटावा	समाज सेवा
7.	श्री गौरव यादव	सदस्य	इटावा	समाज सेवा

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा

सत्य–प्रतिलिपि

वरि० सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर